न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (दक्षिण)

(पीठासीन अधिकारीः–पंकज कुमार, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः– 07/2021 (2021/17 जीसीएमएस नं.) दर्ज दिनांक 27.07.2015

अपीलान्ट्सः–

1. श्रीमती जसकी पत्नी स्व० श्री विरमाराम फौत के कायम मुकामः–
   1/1 – पूनाराम पुत्र स्व० श्री विरमाराम, जाति–जाट निवासी– मोकलासनी तहसील व जिला जोधपुर।
2. श्रीमती सायरी पुत्री स्व० श्री विरमाराम पत्नी श्री मंगलाराम उम्र 70 वर्ष, जाति– जाट, निवासी– गांव बिनावास, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
3. श्रीमती हीरकी पुत्री स्व० श्री विरमाराम पत्नी श्री गोपाराम उम्र 35 वर्ष, जाति जाट निवासी गांव राजोला तहसील सोजत, जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्सः–

1. मिश्रीलाल पुत्र स्व० श्री विरमाराम
2. गुमानाराम पुत्र स्व० श्री विरमाराम
3. लिखमाराम पुत्र स्व० श्री विरमाराम
4. भंवरलाल पुत्र स्व० श्री विरमाराम
5. पुकाराम पुत्र स्व० श्री विरमाराम –
6. पूनाराम पुत्र स्व० श्री विरमाराम (अपीलार्थी संख्या 1/1 के रूप में पक्षानान्तरित) सभी जाति जाट निवासी मोकलासनी, तहसील व जिला जोधपुर।
7. राजस्थान राज्य तहसीलदार, जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या नामालूम ग्राम मोकलासनी तथा (खतौनी संवत 2027 से 2030) जिला जोधपुर।

–:आदेशः– दिनांकः– 28/5/2025

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट्स की ओर से अधिवक्ताः– श्री लादूराम पूनिया।
2. रेस्पोडेन्ट्स की ओर से अधिवक्ताः– अनुपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण बाबत प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलार्थीनीगण तथा प्रत्यर्थी संख्या 01 से 06 स्व० विरमाराम पुत्र रूगनाथ के पत्नि व पुत्र–पुत्री है तथा उनके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी है। स्व० विरमाराम का देहान्त संवत 2029 में हो गया था। स्वर्गीय विरमाराम की

Scanned with OKEN Scanner

खातेदारी की भूमि ग्राम मोकलासनी तहसील जोधपुर के खसरा नम्बर 76, 173, 85 व 156 कुल रकबा 40 बीघा 07 बिस्वा तथा ख.न. 95/5 रकबा 10 बीघा आई हुई है। विरमाराम जी के देहान्त के पश्चात उपरोक्त भूमि का अपीलाधीन नामान्तरणकरण/खतौनी संवत 2027 से 2030 में केवल उनके पुत्रो प्रत्यर्थी ~~संख्या~~ 01, 06 के नाम मृतक खातेदार के समस्त वारिसान की जांच किए बिना दर्ज कर दिया तथा अपीलार्थीनीगण का नाम दर्ज नहीं किया। अपीलाधीन नामान्तरणकरण/खतौनी संवत 2027 से 2030 को दर्ज करने से पूर्व अपीलार्थीनीगण को इसकी सुनवाई व सूचना का भी कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ, जिस कारण इसको कोई जानकारी अपीलार्थीनीगण को नहीं हुयी। अपीलार्थीनीगण मृतक खातेदार स्व० विरमारामजी की पत्नी–पुत्रिया है तथा उनकी प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है तथा उनके देहान्त के पश्चात उनकी खातेदारी भूमि की खातेदार हो गयी है। अपीलाधीन नामान्तरणकरण/खतौनी संवत 2027 से 2030 में स्वर्गीय विरमाराम के समस्त वारिसान की जांच किये बिना पारित किया गया होने से एक शुन्य आदेश है तथा इस प्रकार के आदेश से अपीलार्थीनीगण के हक अधिकार समाप्त नहीं होते है तथा अपीलार्थीनीगण अपने पत्ति व पिता स्व० विरमाराम की खातेदारी भूमि पर अपने नाम से नामान्तरणकरण/खतौनी संवत 2027 से 2030 में करवाने को अधिकारी है। इस कारण अपीलाधीन नामान्तरणकरण/खतौनी संवत 2027 से 2030 निरस्त किये जाने के योग्य है। अपीलाधीन नामान्तरणकरण अपीलार्थीनीगण को सुनवाई व सूचना का अवसर दिये बिना पारित किया गया होने तथा प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्त किये जाने के योग्य है। प्रत्यर्थी संख्या 07 का यह कानूनी दायित्व था कि मृतक खातेदार के समस्त वारिसान की जांच कर उन सब के नाम से नामान्तरणकरण/खतौनी संवत 2027 से 2030 दर्ज करते परन्तु अपीलाधीन नामान्तरणकरण/खतौनी संवत 2027 से 2030 मृतक खातेदार के समस्त वारिसान की जांच किये बिना पारित किया गया होने से भी विधि विरूद्ध है एवं निरस्त किये जाने के योग्य है। अपीलाधीन नामान्तरणकरण कानूनी अकेले प्रत्यर्थी संख्या 01 से 06 के नाम से दर्ज किया जाना गलत व शुन्य है तथा इस नामान्तरणकरण/खतौनी संवत 2027 से 2030 के आधार पर की गई समस्त पश्चातवर्ती कार्यवाही स्वतः ही शुन्य व निरस्त किये जाने के योग्य है। अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु अलग से धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत है। अन्य कारण अपील की बहस के समय मान्यवर न्यायालय की स्वीकृति से निवेदन किये जायेगें। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थीनी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण नामालुम ग्राम मोकलासनी/खतौनी संवत 2027 से 2030 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावे तथा मृतक खातेदार स्व० विरभाराम के समस्त वारिसान् की जांच कर नये सिरे से नामान्तरणकरण किये जाने हेतु मामला तहसीलदार जोधपुर को प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश फरमावे। अन्य उचित आदेश जो मान्यवर न्यायालय न्याय हित में पारित किया जाना आवश्यक समझे तथा जो अपीलार्थीनीगण के पक्ष में हो, सादिर फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम द्वारा अपीलार्थीनी का प्रार्थना पत्र यह है कि अपीलाधीन नामान्तरणकरण/खतौनी संवत 2027 से 2030 अपीलार्थीनी की गैर हाजरी में तथा सुनवाई व सूचना का अवसर दिये बिना पारित किया गया होने से अपीलार्थीनी को इसकी कोई जानकारी नहीं थी तथा अपीलार्थीनीगण दूर दराज देहात की रहने वाली घरेलू महिलाये होने से अपीलाधीन नामान्तरणकरण/खतौनी संवत 2027 से 2030 की जानकारी नहीं हो सकी। अभी प्रत्यर्थी संख्या 01 से 05 द्वारा अपीलार्थीनी संख्या 01 को भरण पोषण देने से मना करने तथा भरण पोषण का विवाद व झगड़ा करने पर प्रत्यर्थीगण द्वारा विवादित भूमि स्व० विरमराम के देहान्त के बाद बाले बाले अपने नाम करने का गांव ने बताया

Scanned with OKEN Scanner

ार्थीनीगण ने नामान्तकरण के लिये पटवारी हल्का, तहसीलदार जोधपुर के कार्यालय लेकिन कोई नकल नहीं दी गयी तथा ना ही नामान्तकरण का नम्बर बताया गया. इस लार्थीनीगण ने जिला लेखागार से खतोनी संवत 2027 से 2030 की नकल के लिये त्र प्रस्तुत किया। ~~जो नकल मिलने के पश्चात~~ अपीलार्थीनी पटवारी हल्का, तहसील व जिला लेखागार में नामान्तकरण के चक्कर काटे। परन्तु कोई जबाब नही मिला तौनी संवत 2027 से 2030 में नाम बदलते समय नामान्तकरण संख्या दर्ज नही की तथा परिविष्टिया किस नामान्तकरण से बदली इसका भी कोई उल्लेख नही है तथा यह जा रहा है कि नामान्तकरण जरूर हुआ है बिना नामान्तकरण के परिविष्टिया नही जाती है। इसलिय स्व० विरमाराम की खातेदारी बदलने की खतौनी की नकल खागार से प्राप्त होने पर अभिभाषक अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 16.07.2015 को जोधपुर ने पर जानकारी पहली बार हुई है। तब यह अपील तैयार करवाकर जानकारी से अन्दर पेश है। अपील को पेश करने में जानबूझ कर किसी प्रकार की कोई देरी नही की गई था पटवारी हल्का से विवादित भूमि के विरासत के नामान्तकरण को तलब कर उसकी दिलाने हेतु अलग से प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दन है कि अपीलार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलार्थीनीगण की अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की गई सुमार करने का आदेश फरमावें तथा अपील के प्रस्तुत करने हुई देरी की माफी दिये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र बाबत अपीलाधीन नामान्तकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने की श्यकता से छुट प्रदान किये जाने तथा विकल्प में संबंधित पटवारी से मूल नामान्तकरण लब कर नकल दिलाने बाबत अपीलार्थीनी का प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार है कि स्व० विरमाराम त्र श्री रूघनाथ की ग्राम मोकलासनी की खातेदारी भूमि के विरासत में दर्ज किये गये पीलाधीन नामान्तकरण के विरूद्ध वर्तमान अपील प्रस्तुत की गयी है। उक्त नामान्तकरण की कल के लिये अपीलार्थीनी ने पटवारी हल्का व जिला अभिलेखागार तथा तहसील कार्यालय धपुर से बार बार मांग की परन्तु नामान्तकरण की संख्या व तारीख अपीलार्थीनी के पास हीं होने से नकल नहीं दी गयी है तथा उक्त नामान्तकरण की संख्या व तारीख पटवारी भिलेख मे है। अतः न्यायहित में पटवारी हल्का से मृतक खातेदार स्व० विरमाराम के विरासत का नामान्तरकरण तलब किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संबंधित पटवारी से तलब फरमाया जावे तथा उक्त नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने की आवश्यकता से अपीलार्थीनी को माफी प्रदान की जाकर अपील दर्ज रजिस्टर कर नकल के लिये समय प्रदान किये जाने का आदेश फरमावे।

अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किए गए। बाद तामिल रेस्पोडेन्ट की तरफ से कोई भी उपस्थित नहीं अतः रेस्पोडेन्ट की अनुपस्थिति दर्ज की गई। अपीलार्थी श्रीमती जसकी के फौत होने पर वसीयत के आधार पर पुनाराम पुत्र स्व. श्री विरमाराम को अपीलार्थी संख्या 1/1 के रूप में पक्षानांतरित किया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम एंव इसके साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई खण्डन पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करते हुए अपील प्रार्थना पत्र को अंदर म्याद शुमार किया जाता है। अपीलान्ट अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि विरमाराम की मृत्यु पर विरमाराम के पुत्रों के नाम ही नामान्तरकरण दर्ज किया गया और विरमाराम की पत्नी व पुत्रियों को नामान्तरकरण में शामिल नहीं किया गया है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार पुत्र, पुत्रियां व पत्नी बराबर के प्रथम श्रेणी के

Scanned with OKEN Scanner

वारिसान होते है। हस्तगत प्रकरण में उत्तराधिकारी की कोई विधिवत जांच नहीं हुई। हमने विद्वान अपीलांट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत भटिण्डा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या नामालुम, ग्राम मोकलासनी (संवत 2027 से 2030) जिसमें विरमाराम के उत्तराधिकारी के रूप में सिर्फ पुत्रों के नाम फोतेदगी नामान्तरकरण दर्ज किया गया है जबकि पत्नी व पुत्रियां भी प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकार के आधार पर नामान्तरकरण के आधार पर अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। उक्त विवेचन के आधार पर, अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण नामालुम ग्राम मोकलासनी खतौनी संवत् 2027 से 2030 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार कुड़ी भगतासनी को प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि मृतक खातेदार स्व. विरमाराम के समस्त वारिसान की जांच कर सभी पक्षकारों को सुनकर नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। तद्नुसार निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार कुडी भगतासनी को लिखा जाए। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(पंकज कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (दक्षिण)

आदेश आज दिनांक 28/4/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

28/4/25
उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (दक्षिण)

Scanned with OKEN Scanner